

Hindi

← Back

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

04/August/2025 10:33:30 PM

जनपद : आगरा

तहसील : आगरा

ग्राम : ककुआ

ग्राम कोड : 124621

फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से
30 जून, 2025)

खाता संख्या : 00225

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण	भूमि का विवरण	खातेदार का अंश
खसरा/ (2) गाटा नाम/पिता-पति-संख्या संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)
		(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में
		(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त / विक्रय / भू-नक्शा / नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

695मि	1) नवरत्न सिंह / लक्ष्मिन सिंह / नि. अस्तल उपग्राम	1404 फ0	695मि (1246210695200112)	0.7850	14.75
	2) देवेन्द्र सिंह / लक्ष्मिन सिंह / नि. अस्तल उपग्राम				
	3) राजेन्द्र सिंह / लक्ष्मिन सिंह / नि. अस्तल उपग्राम				
	4) धर्मेन्द्र सिंह / लक्ष्मिन सिंह / नि. अस्तल उपग्राम				
	5) श्रीमती देवी पत्नी / लक्ष्मिन सिंह / नि. अस्तल उपग्राम				



भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

ककुआ

7) कुश / गजेन्द्र सिंह /
नि0 अस्तल उपग्राम

8) कु0 पायल पुत्री /
गजेन्द्र सिंह / नि0 अस्तल
उपग्राम

9) कु0 काजल पुत्री /
गजेन्द्र सिंह / नि0 अस्तल
उपग्राम

10) कु० अंजली पुत्री /
गजेन्द्र सिंह / नि० अस्तल
उपग्राम

11) कु० अंकिता पुत्री /
गजेन्द्र सिंह / नि० अस्तल
उपग्राम

12) आशा देवी पत्नी /
गजेन्द्र सिंह / नि० अस्तल
उपग्राम

कुल गाटे : एक **कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव सात आठ पांच शून्य (हेक्टेयर)** **कुल भू-राजस्व : एक चार दशमलव सात पांच रुपये**

अप्रमाणित प्रति

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया	दर्ज किया गया				
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति- संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/ पिता-पति- संरक्षक- प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 2021114600766001127 / 13-02-2021 / वरासत / ASHOK KUMAR () / 06- 02-2024	1.1) देवेन्द्र सिंह/ लक्ष्मिन सिंह/नि. अस्तल उपग्राम (:-) 2.1) श्रीमती देवी पत्नी/लक्ष्मिन	695मि (1246210695200112)	1.1) - 2.1) - 3.1) - 4.1) -	1.1) प्रमोद सिंह रावत / देवेन्द्र सिंह / ग्राम अस्तल मजरा ककुआ	695मि (1246210695200112)	1.1) - 2.1) - 3.1) - 4.1) -
2) अन्य / T202501010102001 /						

01-03-2024 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 02- 04-2025	सिंह/नि. अस्तल उपग्राम (: -)	5.1) -	2.1) आगरा विकास	5.1) - 6.1) -
3) अन्य / T202501010102002 / 01-03-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 02- 04-2025	3.1) धर्मेन्द्र सिंह/लक्ष्मिन सिंह/नि. अस्तल उपग्राम (: -)		प्राधिकरण आगरा / - / -	
4) अन्य / T202501010102036 / 03-03-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 03- 04-2025	4.1) कु0 पायल पुत्री/गजेन्द्र सिंह/नि0 अस्तल उपग्राम (: -)		3.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा / - / -	
5) अन्य / T202501010101895 / 27-02-2025 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 03- 04-2025	5.1) नवरत्न सिंह/लक्ष्मिन सिंह/नि. अस्तल उपग्राम (: -)		4.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा / - / -	
6) अन्य / T202501010104286 / 17-10-2024 / विक्रय / ASHOK KUMAR () / 19- 06-2025	6.1) प्रदीप कुमार/प्रीतम सिंह/अस्तल मजरा ककुआ (: -)		5.1) आगरा विकास प्राधिकरण आगरा / - / -	
			6.1) आगरा	

विकास
प्राधिकरण
आगरा / -
/ -

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार (पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार (पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :

1) 1432फ व आदेश श्रीमान तह०महो० सदर आगरा के वाद सं० T202501010102013 दि० 01-03-25 के अनुसार मौजा ककुआ के खाता सं० 00225 के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 5/42 भाग यानि रकवा 0.063142हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व० गजेन्द्र सिंह स्वयं व वहैसियत प्राकृतिक संरक्षिका एंव माता, चि० कुश नाबालिक पुत्र स्व० गजेन्द्र सिंह व कु० काजल, कु० अंजली, कु० अंकिता नाबालिक पुत्रीगण स्व० श्री गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज हो ह०आर०के० (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 02-04-2025)

2) 1432फ व आदेश श्रीमान तह०महो० सदर आगरा के वाद सं० T202501010102014 दि० 01-03-25 के अनुसार मौजा ककुआ के खाता सं० 00225 के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री लक्ष्मिन सिंह निवासी ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज हो ह०आर०के० (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 02-04-2025)

3) 1432फ व आदेश श्रीमान तह०महो० सदर आगरा के वाद सं० T202501010102017 दि० 01-03-25 के अनुसार मौजा ककुआ के खाता सं० 00225 के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता प्रमोद सिंह रावत उर्फ प्रमोद कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा दर्ज हो ह०आर०के० (डिजिटल हस्ताक्षर : ASHOK KUMAR (REVENUE INSPECTOR) / 02-04-2025)

पूर्व आदेशों का विवरण :

- 1) 1428फ व आदेश श्रीमान रा०नि० पोर्टल आर सी प्रपत्र 9 कम्प्यूटरीकृत आवेदन संख्या-2021114600766001127 दि० 13-02-21 के अनुसार देवेन्द्र सिंह पुत्र लखिमन सिंह मृतक के स्थान पर प्रमोद सिंह रावत पुत्र देवेन्द्र सिंह नि० ग्राम अस्तल मजरा ककुआ का नाम वतोर वारिस दर्ज हो ह०आर०के० 16-02-21
- 2) 1431फ कार्यालय सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति आगरा मुकदमा नं० 02 ता०फै० 25-04-2022 विज्ञप्ति संख्या का०आ०3870(अ) दि० 20-09-2021 के अनुसार मौजा ककुआ के गाटा संख्या 695मि रकवा 0.2546हे० से नवरतन सिंह पुत्र लक्ष्मन सिंह व प्रमोद सिंह रावत पुत्र देवेन्द्र सिंह व राजेन्द्र सिंह , धर्मेन्द्र सिंह पुत्रगण लक्षिमन सिंह व श्रीमती देवी पत्नी लक्षिमन सिंह व प्रदीप कुमार पुत्र प्रीतम सिंह व कश पुत्र गजेन्द्र सिंह व कु० पायल, कु० काजल व कु० अंजली व कु० अंकिता पुत्रगणा गजेन्द्र सिंह व आशा देवी पत्नी गजेन्द्र सिंह नि० अस्तल उपग्राम का नाम पृथक करके उसके स्थान पर नवीन इनर रिंग रोड निर्माण हेतु (राष्ट्रपति भारत सरकार वास्ते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली) का नाम दर्ज हो द्वारा परवाना ह०आर०के०

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010104286

वाद संख्या:- 4286/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप कुमार सिंह रावत

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 04/06/2025

वाद सं० ज्202501010104286/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप कुमार सिंह रावत

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से रकवा 0.02546हे० राष्ट्रीय मार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप कुमार सिंह रावत से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। मौजा ककुआ के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से रकवा 0.02546हे० राष्ट्रीय मार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00225 के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से रकवा 0.02546हे० राष्ट्रीय मार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप कुमार सिंह रावत पुत्र श्री प्रीतम



सिंह निवासी ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 6367942/-रू0 आवेदन संख्या-202400766065226 दिनांक 17.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102036
वाद संख्या:- 2036/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम पायल
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 03/03/2025

वाद सं० ज्202501010102036/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम पायल

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 695 रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/42 भाग यानि रकवा 0.012628हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने पायल कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, नकल खतौनी पत्रावली पर उपलब्ध है। दाखिल हुई है। विक्रेता गाटा संख्या 695 रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/42 भाग यानि रकवा 0.012628हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है।

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00225गाटा संख्या 695 रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/42 भाग यानि रकवा 0.012628हे० का लगान 60ख अनुसार से विक्रेता कु० पायल पुत्री गजेन्द्र सिंह निवासी ककुआ तह० व जिला



आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर संभू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 1063942/-रू0 आवेदन संख्या-202400766065282 दिनांक 17.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार

मण्डल : आगरा , जनपद : आगरा , तहसील : आगरा

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102017

वाद संख्या:- 2017/2025

आगरा विकास प्राधिकरण बनाम प्रमोद सिंह रावत आदि

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34

" अंतिम आदेश "

आदेश तिथि:- 01/03/2025

वाद सं० ज०202501010102017/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम प्रमोद सिंह रावत

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने प्रमोद सिंह रावत से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00225 के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता प्रमोद सिंह रावत उर्फ प्रमोद कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह



निवासी ग्राम ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 6367942/-रू0 आवेदन संख्या-202400766065201 दिनांक 17.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102014
वाद संख्या:- 2014/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम राजेन्द्र सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 01/03/2025

वाद सं० ज०202501010102014/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम राजेन्द्र सिंह रावत

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने राजेन्द्र सिंह रावत से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00225 के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री लक्ष्मिन सिंह निवासी ग्राम



ककुआ व तह0 जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 6367942/-रू0 आवेदन संख्या-202400766065209 दिनांक 17.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायलय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
 मण्डल : आगरा , जनपद : आगरा , तहसील : आगरा
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102013
 वाद संख्या:- 2013/2025
 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम आशा देवी
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 01/03/2025

वाद सं० ज०202501010102013/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम आशा देवी

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 5/42 भाग यानि रकवा 0.063142हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने आशा देवी से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 5/42 भाग यानि रकवा 0.063142हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00225 के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग मे अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 5/42 भाग यानि रकवा 0.063142हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता श्रीमती आशा देवी पत्नी स्व० गजेन्द्र सिंह स्वयं व वहैसियत



प्राकृतिक संरक्षिका एंव माता, चि० कुश नाबालिक पुत्र स्व० गजेन्द्र सिंह व कु० काजल, कु० अंजली, कु० अंकिता नाबालिक पुत्रीगण स्व० श्री गजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम ककुआ व तह० जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 5307142/-रू० आवेदन संख्या-202400766065288 दिनांक 17.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
 मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102002
 वाद संख्या:- 2002/2025
 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम धर्मेन्द्र कुमार
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 01/03/2025

वाद सं० ज्202501010102002/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम धर्मेन्द्र कुमार

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने धर्मेन्द्र कुमार से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है।

आदेश



अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00225 के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता धर्मेन्द्र सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री लछिमन सिंह रावत निवासी ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 6367942/-रू० आवेदन संख्या-202400766065218 दिनांक 17.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
 मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010102001
 वाद संख्या:- 2001/2025
 आगरा विकास प्राधिकरण बनाम भगवती देवी
 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
 " अंतिम आदेश "
 आदेश तिथि:- 01/03/2025

वाद सं० ज्202501010102001/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम भगवती देवी

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्टार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714 का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने भगवती देवी से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714 का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है।

आदेश

अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00225 के गाटा संख्या 695मि० रकवा 0.7850हे० में से 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714 लगान 60ख अनुसार से विक्रेता श्रीमती देवी उर्फ भगवती देवी पत्नी श्री लछिमन सिंह निवासी ककुआ



तह0 व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं0भू0 द्वारा बैनामा प्रतिफल 6367942/-रू0 आवेदन संख्या-202400766065267 दिनांक 17.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"



न्यायालय :- तहसीलदार
मण्डल :आगरा , जनपद :आगरा , तहसील :आगरा
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या:- T202501010101855
वाद संख्या:- 1855/2025
आगरा विकास प्राधिकरण बनाम नवरतन सिंह
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006 , अंतर्गत धारा:- 34
" अंतिम आदेश "
आदेश तिथि:- 27/02/2025

वाद सं० ज्202501010101855/2025 अन्तर्गत धारा 34 आर०सी०

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा बनाम नवरतन सिंह

मौजा-ककुआ

तहसील व जिला आगरा

निर्णय

उक्त वाद सब रजिस्ट्रार के आर०सी० प्रपत्र 13 नियम 35(1) और 35(2) उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा 36(1) के अन्तर्गत सूचना पर इस आशय से प्रेषित हुआ है कि मौजा ककुआ के गाटा संख्या 695मि रकवा 0.7850हे० मे से रकवा 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० का बैनामा आगरा विकास प्राधिकरण आगरा ने नवरतन सिंह से कराया है। तदनुसार नामांतरण कर दिया जावे।

वाद पंजीकृत होकर इश्तहार नियमानुसार जारी किया गया। तामील के बाद कोई आपत्ति दाखिल नहीं हुई है। साक्ष्य में विक्रयपत्र, शपथपत्र एवं लेखपाल/रा०नि०कार्यालय की आख्या सहित नकल खतौनी दाखिल हुई है। विक्रेता ने गाटा संख्या 695मि रकवा 0.7850हे० मे से रकवा 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० का उक्तानुसार विक्रय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा द्वारा भूमि क्रय की गयी है। अतः धारा-89, 90, 91 व 98, 99 पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। वाद निर्विवाद है। अतः

आदेश



अतः मौजा ककुआ के खाता सं० 00225 के गाटा संख्या 695मि रकवा 0.7850हे० मे से रकवा 0.2546हे० राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिकृत करने के बाद शेष रकवा 0.5304हे० का 1/7 भाग यानि रकवा 0.0757714हे० लगान 60ख अनुसार से विक्रेता नवरतन सिंह पुत्र लक्षिमन सिंह निवासी ग्राम ककुआ तह० व जिला आगरा का नाम पृथक करके उसके स्थान पर क्रेता आगरा विकास प्राधिकरण आगरा का नाम बतौर सं०भू० द्वारा बैनामा प्रतिफल 6367942/-रू० आवेदन संख्या-202400766065193 दिनांक 17.10.2024 के दर्ज हो। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:-

तहसीलदार (सदर)

आगरा।

Disclaimer :

उपरोक्त सूचना मात्र सूचनार्थ है तथा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में उपलब्ध अद्यतन सूचना पर आधारित है, इस सूचना की कोई विधिक मान्यता नहीं होगी। वास्तविक सूचना की पुष्टि सम्बंधित न्यायालय / न्यायालयों की पत्रावली / पत्रावलियों से की जा सकती है।"